झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०–8/न०वि०/नियमावली/101/2014 6931 राँची, दिनांक–08/11/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 क धारा–590(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड में राज्यपाल एतद् द्वारा "झारखण्ड नगरपालिका (उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संचालन प्रक्रिया) नियमावली–2014" के नियम 3 (6) में निम्न रूपेण संशोधन करते है:–

क्र०	नियमावली का नियम	अधिसूचित नियमावली में किया गया प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3	4
1	नियम 3 (6)	"नगर निगम के उपमहापौर, नगर परिषद/नगर पंचायत के उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने की पावती रसीद देने के पश्चात् उस नगर निगम, नगर परिषद/नगर पंचायत की अन्य बैठक उस समय तक आहूत नहीं की जायेगी जबतक अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा विशेष बैठक आहूत नहीं कर ली जाती है अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव का समाधान नहीं हो जाता है।"	नियम 3 (6) को विलोपित किया जाता है।

2. यह संशोधन अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा।

3. "झारखण्ड नगरपालिका (उपमहापौर/उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संचालन प्रक्रिया) नियमावली–2014" में संशोधन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

8.11.17

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/न०वि०/नियमावली/101/2014 6931 राँची, दिनांक–08/11/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8.11.17

सरकार के प्रधान सचिव।

Manju/E/Sec-8/Adisuchna-26

ज्ञापांक–8/न०वि०/नियमावली/101/2014......6931...... राँची, दिनांक–...08/11/17

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

8.11.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/न०वि०/नियमावली/101/2014......6931...... राँची, दिनांक–...08/11/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.11.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/न०वि०/नियमावली/101/2014......6931...... राँची, दिनांक–...08/11/17

प्रतिलिपिः–श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

8.11.17

सरकार के प्रधान सचिव।

Manju/E/Sec.-8/AdSuchna-27